वित्तीय दिशा निर्देशन

**कार्यक्रम का नाम– DPMUs Training**
**बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– DPMUs Training**
**बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या – A.9.8.2**

**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण** – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्वेश्यों की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक हैं कि जिला स्वास्थ्य प्रबंधन ईकाई के सदस्यों का क्षमता विकास निरंतर किया जाय। विशेष रूप से जन स्वास्थ्य एवं सामुदाधिक सहभागिता के विभिन्न आयामों पर कौशल विकास से सम्बंधित प्रशिक्षणो में पदाधिकारियों को भेजने का निर्णय राज्य स्वास्थ्य समिति ने लिया है। इस सन्दर्भ में यह भी निर्णय लिया गया हैं कि जिला स्वास्थ्य प्रबंधक ईकाई के पदाधिकारी स्वयं यह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हे किन विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करना हैं एवं इसके लिए किस संस्थान का चयन किया जायेगा।

इसी प्रकार प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधन ईकाई के सदस्यों के भी कौशल विकास हेतु विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण की गतिविधि आयोजित की जा सकती हैं। जिसका निर्णय स्वयं प्रखण्ड प्रबंधन ईकाई के सदस्य करेंगे। प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण के लिए उन मुद्दो का चयन किया जायेगा जिसकी आवश्यकता जिला प्रबंधन या प्रखण्ड प्रबंधन ईकाई के सदस्य करते हैं क्यों कि उस कौशल के अभाव में उनके कार्यो में गुणवत्ता का अभाव राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठको में चिन्हित किया जाता है।

**इकाई राशि (रू०)** –

(क) DPMU कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण हेतु Rs. 40,000 प्रति जिला के अलावे बची राशि को BPMU कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण हेतु खर्च किया जा सकेगा।

**वित्तीय दिशा निर्देशन–**

(क) DPMU में कार्यरत सभी कर्मियों के किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण से सम्बंधित गतिविधियों हेतु यह राशि प्रत्येक जिले को दी जा रही है। जिसे जिला स्तर के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए खर्च किया जाना है। जिसकी सूचना राज्य स्तर पर प्रदान करनी आवश्यक है। यथा प्रशिक्षण हेतु यात्रा, रहने एवं खान–पान इत्यादि का खर्चा इस मद् से किया जाना है। इस मद् में प्रति जिला 40,000/– रू0 की राशि कर्णांकित की जा रही है तथा Alloted बाकी बचे राशि का ठीक उसी प्रकार BPMU के कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु भी राशि दी जा रही है। जिसे प्रखण्ड स्तरीय कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए खर्च किया जाना है। प्रशिक्षण हेतु यात्रा, रहने एवं खान–पान इत्यादि का खर्चा इस मद् से किया जाना है। इसके मद् के लिए नोडल पदाधिकारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक होंगे।

(ख) राज्य स्तर पर 1470000/– रू0 की राशि रखी गई है। जिसे SPMU / DPMU / BPMU के किसी भी स्तर के कर्मियों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम खर्च किया जायेगा।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम–डा० जयती श्रीवास्तव, उपनिदेशक–प्रशिक्षण
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर– 0612-3244041, 9470003019

Jayati 18/7/11